

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
17बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय)

फाइल सं. नीपा/प्रशासन/आरओ/परिपत्र/030/2021-22

दिनांक: 10 अगस्त, 2022

परिपत्र


नीपा के 60वें वर्ष के समारोह के अवसर पर संस्थान के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र फिल्म विकसित करने हेतु नीपा के माननीय कुलपति ने निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप देने, वृत्तचित्र के विकास के लिए विक्रेता की पहचान, वृत्तचित्र फिल्म/क्लिप की सामग्री और अवधि को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है।

गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. प्रो.पी.के. मिश्रा | : | अध्यक्ष |
| उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र | | |
| 2. प्रो. नीरू स्नेही | : | सदस्य |
| उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग | | |
| 3. प्रो. रश्मिता दास स्वैन | : | सदस्य |
| विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग | | |
| 4. डॉ. मोना सेदवाल | : | सदस्य |
| शिक्षा में प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास विभाग | | |
| 5. डॉ. अमित गौतम | : | सदस्य |
| विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग | | |
| 6 प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) | : | सदस्य संयोजक |

समिति नीपा पर बनने वाली वृत्तचित्र फिल्म के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार कर सकती है और 30 दिनों के भीतर मामले को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता दे सकती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(डॉ. डी.एस. ठाकुर)

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:

समिति के अध्यक्ष / सदस्य

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव- सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सहायक- कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. सभी विभागाध्यक्ष / प्रमुख अधिकारी / प्रभारी
4. सिस्टम एनालिस्ट -- 'स्टाफ-कॉर्नर' परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5. फ़ाइल